सं0-3665/62-2-2014-2/3(20)/2014

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 22 दिसम्बर,2014

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर में केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित लघु सिंचाई के अन्तर्गत अभियंत्रण स्नातक/डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण योजना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1770/ल0सिं0/बजट-के0पो0/2014-15, दिनांक 24-11-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित लघु सिंचाई के अन्तर्गत अभियंत्रण स्नातक/डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि `-10.00 लाख (` दस लाख मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान के माध्यम से प्रथम त्रैमास हेतु शासनादेश सं0-1146/62-2-2014-2/3(20)/2014, दिनांक 15-5-2014 द्वारा धनराशि `-2.50 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष् पूर्व में अवमुक्त धनराशि को घटाने/समायोजित करने के उपरांत अवशेष धनराशि `-7.50 लाख (` सात लाख पचास हजार मात्र) को आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उपर्युक्त समग्र धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 में विर्निष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

(2) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में चालू योजनाओं के अधीन केन्द्र पोषित/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में लधु सिंचाई के अन्तर्गत अभियंत्रण स्नातक/डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण योजना पर व्यय हेतु है।

(3) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय और व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाये। आपको स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

(5) तत्संबंधी चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-लघु सिंचाई के अन्तर्गत अभियंत्रण स्नातक/डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण योजना (केन्द्रांश 50 प्रतिशत+राज्यांश 50 प्रतिशत)-21-छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन"** के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 के तहत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

सं0-3665(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
3- राज्य योजना आयोग अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।